अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

1

न्यायालय, उपायुक्त – सह – जिला दण्डाधिकारी, रॉची

सी0 सी0 ए0 वाद सं0 64 / 2023

06
11.09.2023

राज्य

बनाम्

राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी – रवि स्टील झिरी, थाना– सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची (झारखण्ड) ..... विपक्षी

आदेश

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची के पत्रांक 869 / डी०सी०बी० दिनांक 21.07.2023 द्वारा कुख्यात अपराधकर्मी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी – रवि स्टील झिरी, थाना– सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची को झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a), 3(b)(1) के अन्तर्गत प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने हेतु प्रस्ताव समर्पित किया गया है, जिसका अवलोकन किया। विपक्षी निम्नलिखित पूर्व प्रतिवेदित कांड में आरोपित हैं, जिसमे आरोप पत्र भी समर्पित है:–

1. कोतवाली थाना (पंडरा ओ० पी०) काण्ड सं०–906 / 12 दिनांक 05.09.2023 धारा–302 / 34 भा०द०वि०
2. कोतवाली थाना (पंडरा ओ० पी०) काण्ड सं०–195 / 13 दिनांक 10.03.2023 धारा–385 / 386 भा०द०वि०
3. सदर थाना काण्ड सं०–122 / 14, धारा–188 / 285 / 387 / 420 / 12बी० भा०द०वि०
4. कोतवाली (सुखदेवनगर) थाना काण्ड सं०–366 / 14, निांक 26.04.2014 धारा–341 / 323 / 34 / 120बी० भा०द०वि० एवं 27 शस्त्र अधिनियम
5. रातू थाना काण्ड सं० 168 / 15 दिनांक 03.10.2015 धारा 25 (1–बी०ए०) / 27 शस्त्र अधिनियम

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

6. पंडरा ओ० पी० सनहा सं० 30/23 दिनांक 25.03.2023

7. पंडरा ओ० पी० सनहा सं० 32/23 दिनांक 08.07.2023

8. पंडरा ओ० पी० सनहा सं० 18/23 दिनांक 14.07.2023

वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची ने यह प्रतिवेदित किया है कि विपक्षी बिट्टु मिश्रा उर्फ राजीव कुमार मिश्रा एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है, वर्तमान मे विपक्षी का आतंक पंडरा ओ० पी०, सुखदेवनगर, कोतवाली, रातु थाना क्षेत्र मे है, जिनके आपराधिक गतिविधि से क्षेत्र के आमजन का जीवन काफी भयग्रस्त हो गया है। विपक्षी का मुख्य पेशा लूट हत्या, चोरी का सामान रखना, रंगदारी वसूलना, आग्नेयास्त्र का भय दिखाकर लोगो को डरा धमका कर रंगदारी वसूलना तथा जमीन के कारोबारी को अपने आतंक का भय दिखाते हुए उससे ऊँचे दाम के जमीन को औने पौने दाम पर खरीदने का काम करते है। रंगदारी के साथ–साथ आम स्थानो में गोली चलाकर आमजन मानस के बीच दहशत फैलाना इनका पेशा है, जो बिना किसी डर भय से छोटे एवं बड़े आपराधिक घटना को – अंजाम देते है। इसका वास्तविक आपराधिक इतिहास इनके अभिलिखित इतिहास से कही ज्यादा बड़ा एवं व्याप्त है। इन्हें आपराधिक घटनाओ को अंजाम देने के वाबजूद भी संबंधित काण्डों के पीड़ित एवं गवाह तथा अन्य लोग विषयांकित अपराध में नामजद करते हुए प्राथमिकी दर्ज कराने या इनके खिलाफ गवाही देने अथवा इनका नाम पुलिस को बताने के लिए भयवश तैयार नही होते है। फलस्वरूप कई आपराधिक घटनाओं में शामिल रहने के बाबजूद भी संबंधित काण्डो में इनका अभियुक्तिकरण नही हो पाता है। जिसके कारण ये आसानी से जेल से बाहर निकल आते हैं तथा पुनः अपराधिक गतिविधि में अपने पुराने सहयोगी के साथ सक्रिय हो जाते है। वर्तमान में ये जेल से बाहर है और अपने पत्नी के माध्यम से क्षेत्र के गरीब एवं जरूरतमंद लोगो को ऊँचे ब्याज में पैसा देने का काम कर रहे है तथा समय पर पैसा नहीं लौटाने पर उसके मकान एवं जमीन को जबरदस्ती अपने एवं परिवार के नाम लिखवा लेते है। ऐसे व्यक्ति से व्यवस्था पर प्रतिकुल प्रभाव पड़ने की संभावना बनी हुई है। जिससे लोक व्यवस्था पर व्यापक असर पड़ सकता है। विपक्षी के गतिविधि को रोकने के लिए उन्हे प्रत्येक दिन उपस्थिति दर्ज कराने संबंधी कार्रवाई करने की अनुशंसा की गई है।

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

उपर्युक्त तथ्यो एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत साक्ष्यों के आलोक में झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम की धारा–3(1)(a) (b)(i)(ii) के अन्तर्गत विपक्षी से कारणपृच्छा माँगा गया।

विपक्षी द्वारा समर्पित कारण पृच्छा के अनुसार विपक्षी के विरुद्ध लगाये गये सारे आरोप बिल्कुल गलत, बनावटी एवं निराधार है। उनके खिलाफ दायर उपरोक्त 5 वादो मे से 3 वादो मे विपक्षी को माननीय न्यायालय ने बरी कर दिया गया है। विपक्षी वर्त्तमान मे अपने पिता एवं दो भाईयों के साथ निवास करते है तथा एक सामाजिक जीवन व्यतीत कर रहे है। विपक्षी के पिता के द्वारा अपने भुमि मे निर्माण कार्य करवाने के दौरान भु–माफियों के द्वारा व्यवधान उत्पन्न किया गया, जिसमे आत्म रक्षा मे किये गये कार्रवाई मे कुछ व्यक्तियों को चोट लग गई। उक्त भू– माफियों के द्वारा बाद मे विपक्षी के खिलाफ अनेक झुठे मुकदमे दायर किये गये है। विपक्षी के खिलाफ लगाये गये सारे आरोप बेबुनियाद है। वर्ष 2015 के बाद कोई काण्ड मेरे विरूद्ध नहीं है।

अभिलेख के समग्र अवलोकन से विदित होता है कि विपक्षी एक कुख्यात एवं सक्रिय अपराधकर्मी है। इनके आचरण से समाज में अशांति एवं आम जनता के बीच भय, आंतक एवं दहशत का माहौल बना हुआ है। जिस कारण से लोक शांति एवं विधि–व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, जो इनके सक्रिय अपराधकर्मी होने का द्योतक है। इसलिए वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव एवं अनुशंसा में अन्तर्नीहित तथ्यों के समेकित एवं समग्र समीक्षा के उपरान्त मै संतुष्ट हूँ कि इस जिले में लोक प्रशान्ति को सुरक्षित एवं अक्षुंण रखने के निमित अपराधकर्मी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी –रवि स्टील झिरी, थाना– सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची पर निगरानी रखना आवश्यक है।

अतः झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा–3(1)(a),3(1),(b)(1) में अंकित प्रावधानों के आलोक में अपराधकर्मी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी

अनुसूची 14 – फारम सं0 563

आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कारवाई के बारे मे टिप्पणी, तारीख के साथ।
1	2	3

4

– रवि स्टील झिरी, थाना– सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची को दिनांक 20.09.2023 से दिनांक 19.12.2023 तक की अवधि के लिए पंडरा ओ० पी०, राँची में प्रत्येक रविवार को अपनी उपस्थिति दर्ज कराने कां आदेश दिया जाता है। साथ ही झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) की धारा– 7 (2) (b) के तहत उन्हें आदेश दिया जाता है कि वे थाना प्रभारी, पंडरा ओ० पी० रू0 10,000/–का बंधपत्र (with two sureties) दिनांक 19.09.2023 तक दाखिल करेंगे कि वे दिनांक 20.09.2023 से दिनांक 19.12.2023 तक प्रत्येक रविवार पंडरा ओ० पी०, राँची के कार्यालय में उपस्थिति दर्ज करेंगे तथा समाज में good behavior बनाए रखेंगे। उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किये जाने पर विपक्षी के विरूद्ध झारखण्ड अपराध नियंत्रण अधिनियम 2002 (अंगीकृत) धारा–7 (2) (b) के तहत कार्रवाई की जाएगी। अपरिहार्य स्थिति में अगर विपक्षी राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी – रवि स्टील झिरी, थाना– सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची अपनी उपस्थिति दर्ज करने में असमर्थ रहते है, तो ऐसी स्थिति में अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर लेना सुनिश्चित करेंगे।

इस आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची को भेजी जाय। वरीय पुलिस अधीक्षक, राँची इस आदेश की एक प्रति राजीव कुमार मिश्रा उर्फ बिट्टु मिश्रा, पिता राम नारायण मिश्रा, निवासी – रवि स्टील झिरी, थाना–सुखदेवनगर (पण्डरा ओ०पी०), जिला–राँची (झारखण्ड) तथा संबंधित सभी थाना प्रभारियों को अनुपालनार्थ भेजेंगे।

जिला दण्डाधिकारी
राँची

(लेखापित एवं संशोधित)

जिला दण्डाधिकारी

Digitally signed by RAHUL KUMAR SINHA
Date: 2023.11.23 01:44:29 -08:00
Location: 192.168.1.4